

प्रमाण पत्र

मेसर्स ब्रॉडकॉम की वर्तमान कार्य हेतु लंकापुर जिला में जुधूड़ी
वनमण्डल के गांव के वन भूमि व्यवर्तन हेतु ५.६.७ हेठो वन भूमि के प्रकरण में
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 में नियम सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि ५.६.७ हेठो एवं / राजस्व वन भूमि निरेक हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम जुधूड़ी तहसील लंकापुर में स्थित है में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें प्रस्ताव दिनांक १०-१२-२०१५ (प्रदर्श—"अ") एवं वन तभा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श—"ब") पर प्रदर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव श्री मल्ली जुधूड़ी ग्राम के सरपंच श्री / श्रीमती लक्ष्मि बारापण घेठा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक .. १०-१२-२०१५ रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें १०.९.१५ प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाई रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें १०.९.१५ अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति हैं।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
१.	जुधूड़ी	—	—

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्युनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था। यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक १०-१२-२०१५ अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समुह (पी०टी०जी०) के सदस्य व्यपर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनों दिनांक १०-१२-२०१५ के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अधिकारी

जल संसाधन संभाग क्र. 02 रामानुजगंज
जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.)

नाम ()

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष जिला वन-सम्बन्ध विभाग समिति
जिला
सील